UPMZ010001292026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No–1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

Criminal Revision/03/2026

अनुज कुमार पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम धीराहेड़ी, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।

––––––––––रिवीजनकर्ता।

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार,

2. कमल गौतम पुत्र कलीराम, निवासी मौहल्ला सुभाषनगर, थाना नई मण्ड़ी, जिला मुजफ्फरनगर।

3. हाजी इकराम पुत्र स्व0 नाजिर हसन, निवासी ग्राम मांझीपुर, थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

––––––––विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दाण्ड़िक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–01 / न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–1317 / 11 सन 2025 अनुज कुमार बनाम कमल गौतम आदि, अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थी एक सीधा–सादा व कानून पसंद किसान है तथा खेती–बाड़ी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। उसकी लगभग तीन वर्ष से कमल गौतम पुत्र कलीराम निवासी मौ० सुभाषनगर थाना नईमंडी, मुजफ्फरनगर से जान–पहचान थी, जिसने उसे

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.25 16:29:29 IST
Reason: ORDER
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

स्टेप फार्मिंग इंडिया प्रा.लि. के संबंध में बताया और कम्पनी के सीएमडी हाजी इकराम पुत्र स्व० नाजिर हसन निवासी ग्राम मांझीपुर, सहारनपुर से मिलवाया। दोनों ने प्रार्थी को विश्वास में लेकर बताया कि कम्पनी जैविक भारत मिशन के अंतर्गत केंचुआ खाद बनाने, प्लांट लगाने तथा किसानों को मुनाफा व सरकारी लाभ दिलाने का कार्य करती है। उनकी बातों में आकर प्रार्थी ने दिनांक 21.11.2023 को ढाई लाख रुपये कमल गौतम के बैंक खाते में एनईएफटी द्वारा तथा साढ़े तीन लाख रुपये नगद प्रवेन्द्र व सचिन की मौजूदगी में कमल गौतम व हाजी इकराम को दे दिये। आरोप है कि दोनों ने सरकारी होने का झांसा देते हुए कूटरचित कागजात भी दिखाये। बाद में जब प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त कम्पनी फर्जी है और लोगों के रुपये हड़प लिये गये हैं, तब उसने अपना पैसा वापस मांगा तो कमल गौतम व हाजी इकराम ने उसके साथ गाली–गलौच की, मारपीट पर उतारू हो गये तथा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी का आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने झूठा लालच देकर, धोखाधड़ी व कूटरचना के माध्यम से उसके कुल 6 लाख रुपये हड़प लिये, जिससे वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, तथा उनके विरुद्ध अन्य थानों में भी इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। अतः प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष भोपा को आदेश दिए जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.09.2025 में यह निष्कर्षित किया है कि ''पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दाखिल कर विपक्षीगण पर अमानत में ख्यानत करने व गाली गलौच करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को घटना के समस्त तथ्य ज्ञात है। प्रार्थी के कथनों की समीक्षा न्यायालय के समक्ष कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य 2015 (6) ए०सी०सी० 287 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अवधारणा के अनुसार धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट विवेचना कराए जाने के आदेश पारित किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। वह मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है।'' उक्त निष्कर्ष के आधार

पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

4. प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09.12.2025 से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षण योजित किया गया है।

5. संक्षेप में प्रस्तुत निगरानी के आधार इस प्रकार है कि रिवीजनकर्ता के विरूद्ध आदेश दिनांकित 09.12.2025 विधि विरूद्ध पारित किया गया है। विद्वान न्यायालय ने अपने विवेक व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने कमल गौतम आदि के खिलाफ विचारण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 173(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था विचारण न्यायालय अन्तर्गत धारा 173(4) के प्रार्थना पत्र पर परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जो कि न्याय विरूद्ध है तथा रिवीजनकर्ता को समुचित न्याय प्राप्त नही हो सकेगा क्योकि उक्त मामला विवेचना का है विवेचना के बाद ही समुचित तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आ सकते है और रिवीजनकर्ता को न्याय प्राप्त हो सकता है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने विचारण न्यायालय में कथन किया था कि कमल गौतम पुत्र कलीराम निवासी उपरोक्त जिसका मोबाईल नम्बर 9720209535 है जो पहले से ही रिवीजनकर्ता के गांव में आता जाता रहता है, जिस कारण रिवीजनकर्ता की पिछले करीब तीन वर्षो से कमल गौतम से जान पहचान है। दिनांक 09.09.2023 में कमल गौतम ने रिवीजनकर्ता को स्टेप फॉर्मिग इण्डिया प्रा.लि. के बारे में बताया था। जिसका सी.एम.डी. हाजी इकराम पुत्र स्व. नाजिर निवासी उपरोक्त है जिसका मोबाईल नम्बर 8630045874 है के बारे में बताया और कहा कि उक्त कम्पनी जैविक भारत मिशन पर कार्य कर रही है और साथ ही कम्पनी अपने साथ मिलाकर व्यापार करने का मौका भी दे रही है और केचुआ खाद बनाती है तथा किसानों की जमीन पर केचुआ खाद बनाने का प्लान्ट भी लगाती है। इसी तरह से रिवीजनकर्ता को उक्त कमल गौतम ने काफी बाते बतायी और रिवीजनकर्ता को हाजी इकराम से भी मिलवाया। हाजी इकराम ने भी रिवीजनकर्ता को

काफी बाते बताकर रूपये लगाने के लिये कहा तो रिवीजनकर्ता ने हाजी इकराम व कमल गौतम की बातो पर विश्वास करते हुए उक्त कम्पनी में दिनांक 21.11.2023 को कमल गोतम ने 2,50,000 / –रूपये अपने बैंक खाते में एन.ई.एफ. टी. करा लिये तथा 3,50,000 / –रूपये नकद प्रवेन्द्र पुत्र मोहर सिंह व सचिन पुत्र कृष्ण जे कि रिवीजनकर्ता के गांव के रहने वाले है की मौजूदगी में कमल गौतम व हाजी इकराम को दे दिये। जो रूपये रिवीजनकर्ता को अपने पेड बेचकर प्राप्त हुए थे। हाजी इकराम व कमल गौतम ने एक राय मशवरा होकर रिवीजनकर्ता को सरकारी कूटरचित कागज भी दिखाये और कहा कि यह सब कागज सरकारी है और सरकार से हमें बहुत लाभ मिलता है जो तुझे भी मिलेगा कई महीने गुजर जाने के बाद जब रिवीजनकर्ता ने चर्चा सुनी कि कमल गौतम व हाजी इकराम ने कम्पनी को बन्द कर दिया है और लोगो के रूपये हडप लिये तो रिवीजनकर्ता ने अपने रूपये के बारे में कमल गौतम व हाजी इकराम से बात की और अपने रूपये वापिस मांगे तो कमल गौतम व हाजी इकराम ने रिवीजनकर्ता को गाली गलौच करते हुए मारपीट तक करने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी कि अगर आईन्दा तूने रूपये मांगे तो तुझे जान से मार देगे। उपरोक्त कमल गौतम व हाजी इकराम ने रिवीजनकर्ता के साथ झूठ बोलकर धोखाधडी करके व कूटरचित कागजात दिखाकर व देकर 6,00,000 / –रूपये हडप लिये है। यह कम्पनी फर्जी व झूठी है जो भोले भाले किसानो को झूठा लालच देकर व झूठ बोलकर कि कैचुआ पालन से खाद बनाया जायेगा ओर मुनाफा दिया जायेगा सरकार भी सब्सिडी देगी यह बात कहकर फसाया जाता है उक्त फर्जी व झूठी कम्पनी की आड में कमल गौतम व हाजी इकराम द्वारा भी रिवीजनकर्ता के 6,00,000 / –रूपये हडफे गये है। उक्त लोगो के खिलाफ थाना बेहट जनपद सहारनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 220 सन 2025 तथा मु.अ.स.46 सन 2025 थाना सिविल लाईन मु० नगर व मु.अ.स.459 सन 2025 थाना सदर बाजार सहारनपुर एवम एक मुकदमा संख्या 366 सन 2025 थाना नई मण्डी मु०नगर पर दर्ज है। इन लोगो ने भोले भाले किसानो व जनता के साथ कुल मिलाकर 500 / –करोड से अधिक की ठगी कर रखी है। रिवीजनकर्ता भी एक किसान है उक्त लोगो

ने रिवीजनकर्ता का पैसा हडप लिया है जिससे रिवीजनकर्ता बरबाद हो गया हैं। उक्त दोनो लोगो ने रिवीजनकर्ता को जमा पूजी हडप कर ली है तथा हाजी इकराम व कमल गौतम रिवीजनकर्ता के द्वारा रूपये मांगने पर कहते है कि हम राजनीतिक पहुंच वाले आदमी है हमारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अन्जाम बुरा होगा। रिवीजनकर्ता को उक्त दोनो लोगो से अपनी जान का खतरा पैदा हो गया हैं हाजी इकराम व कमल गौतम के खिलाफ मुकदमा कराने के आदि प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफफरनगर को प्रार्थना पत्र दिया था उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरूद्ध आदेश दिनांकित 09.12.2025 पारित कर दिया जबकि विपक्षीगण के खिलाफ संज्ञेय अपराध कारित हो रहा था। विचारण न्यायालय द्वारा कतई गलत तथ्यो के आधार पर आदेश दिनांकित 09.12.2025 पारित करते हुए उक्त परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश के मनमाने तरीके से पारित किये गये है। जबकि मुलजिमान द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय अपराध है तथा धोखाधडी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का अपराध बाखूबी मुलजिमान के साबित है तथा रिवीजनकर्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य दाखिल किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली का सही ढंग से अवलोकन नही किया है। और मनमाने तरीके से आदेश पारित किया हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उक्त निगरानी स्वीकार किए जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 निरस्त किए जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

6. विपक्षी संख्या–02 की ओर निगरानी के विरुद्ध लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है। संक्षेप में आपत्ति 8क में कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता का रिविजन उपरोक्त निराधार एवं बलहीन है, जो किसी भी दशा में पोषणीय ना होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत निगरानी

विचारण न्यायालय के परिवाद में दर्ज आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश एक अन्तरवर्ती आदेश है, जिसके खिलाफ निगरानी पोषणीय नही है। निगरानी उक्त में निगरानीकर्ता द्वारा कोई ऐसा आधार या कथन नही दिया है कि विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि है या विचारण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 09.12.2025 पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश उचित है, जिसमें किसी हस्ताक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने विवेचक एवं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये प्रश्नगत आदेश कतई विधि अनुसार पारित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मामला सिविल प्रकृति का बनता है, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा सिविल प्रकृति के मामले को आपराधिक रंग दिया जा रहा है, हालाकि विचारण न्यायालय द्वारा भी गिनरानीकर्ता को प्रश्नगत वाद परिवाद में दर्ज किये जाने के बाद सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। निगरानीकर्ता विधि अनुसार विचारण न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर विधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। निगरानीकर्ता की निगरानी में कोई कथन या आधार प्रश्नगत आदेश के अनियमित या असवैधानिक होने के सम्बन्ध में नही दिया गया है। निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र परिवाद में दर्ज होने से निगरानीकर्ता को क्या अपूर्णनीय क्षति हो रही है का भी कोई आधार प्रस्तुत निगरानी में नही दिया गया है। प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी के खिलाफ कुछ मुकदमें थाने पर दर्ज होने का हवाला दिया है, के सम्बन्ध में सभी मुकदमें गलत एवं निराधार आधारो पर कायम किये गये है, जिनको विपक्षी सं०–1 सक्षम न्यायालय में लड़ रहा है, कोई विपरीत आदेश विपक्षी सं०–1 के खिलाफ नही है और ना ही निगरानीकर्ता द्वारा बताये गये मुकदमों का कोई सम्बन्ध प्रश्नगत आदेश से है। विपक्षी सं०–2 जिम्मेदार सामाजिक, शांति प्रिय कानून को मानने वाला व्यक्ति है तथा प्रस्तुत निगरानी में विपक्षी सं०–2 की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा श्रीमान न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता अनुज कुमार किसान नेता है तथा प्रस्तुत प्रकरण के माध्यम से

अनुचित लाभ उठाना चाहता है। उपरोक्त कथनो व अन्य विधिक आधारो पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त की जावे।

7. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को दिए प्रार्थना पत्र की प्रति 4ख / 4 ता 4ख / 5, जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ0प्र0 की ऑनलाईन स्लिप की प्रति 4ख / 6, मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ को प्रेषित पत्र की प्रति 4ख / 7 ता 4ख / 8 तथा नकल आदेश दिनांकित 09.12.2025 की सत्यप्रतिलिपि 5ख / 1 ता 5ख / 2 दाखिल की गयी है।

8. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

9. पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में मूलतः यह आरोप अंकित किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा कम्पनी में निवेश एवं लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर उससे धनराशि प्राप्त की गयी, कूटरचित / भ्रामक कागजात दिखाये गये तथा धनवापसी की मांग करने पर उसके साथ गाली–गलौच, मारपीट की कोशिश एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तथा उसमें वर्णित तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्य ज्ञात हैं और उसके कथनों की समीक्षा न्यायालय के समक्ष कराया जाना न्यायसंगत है, फलस्वरूप प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

10. निगरानीकर्ता के अपने कथनों से ही स्पष्ट है कि विपक्षी कमल गौतम से उसकी पूर्व से जान–पहचान थी, उसी के माध्यम से हाजी इकराम से परिचय हुआ, रुपये किस प्रकार दिये गये, कितनी धनराशि बैंक खाते में स्थानान्तरित की गयी, कितनी धनराशि नगद दी गयी, किन व्यक्तियों की उपस्थिति में दी गयी तथा बाद में धन वापसी मांगने पर क्या घटनाक्रम हुआ, इन समस्त तथ्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं निगरानीकर्ता को है। इतना ही नहीं, निगरानीकर्ता ने स्वयं प्रवेन्द्र एवं सचिन को नगद धनराशि दिये जाने के

समय उपस्थित होना अंकित किया है। ऐसी दशा में घटना के मूल तथ्य, लेन–देन की परिस्थितियाँ तथा कथित प्रलोभन / धमकी आदि के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य स्वयं निगरानीकर्ता के नियंत्रण एवं जानकारी में हैं, जिन्हें वह परिवाद में अपने कथन, गवाहों तथा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

11. यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट पुलिस विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि उपलब्ध तथ्यों से यह परिलक्षित हो कि प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्य ज्ञात हैं और वह स्वयं अपने साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को स्थापित कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का वैधानिक विवेकाधिकार रखता है। मात्र इस आधार पर कि निगरानीकर्ता पुलिस विवेचना चाहता था, यह नहीं कहा जा सकता कि परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश विधि–विरुद्ध हो गया। विचारण न्यायालय को यह देखना होता है कि प्रकरण की प्रकृति, उपलब्ध तथ्यों तथा साक्ष्यों के स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विवेचना वास्तव में आवश्यक है अथवा नहीं।

12. निगरानीकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित कागजात दिखाये गये तथा अन्य स्थानों पर भी उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत हैं, किन्तु उक्त कथनों मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस विवेचना ही एकमात्र उपयुक्त उपाय था। यदि निगरानीकर्ता के पास बैंक लेन–देन से सम्बन्धित अभिलेख, कथित नगद भुगतान के सम्बन्ध में गवाह तथा अन्य समर्थनकारी सामग्री उपलब्ध है, तो वह उन्हें परिवाद के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। परिवाद के रूप में प्रार्थना पत्र दर्ज होने से निगरानीकर्ता का विधिक उपचार समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे विधि अनुसार अपने कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय को प्रथमदृष्टया अपराध के संबंध में संतुष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत आदेश से निगरानीकर्ता को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति कारित हुई है, जिसके कारण पुनरीक्षण न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो।

13. यहां यह उल्लेखनीय है कि निगरानी न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कोई विधिक अनियमितता नहीं की है अथवा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई आदेश तो पारित नहीं किया है या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग तो नहीं किया है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रश्नगत आलोच्य आदेश को अपने विधिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया हो, बल्कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर जांच कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **जोसेफ माथुरी उर्फ विश्वरानंद एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानंद एवं अन्य 2001 (सप्लीमेन्टरी) ए.सी.सी. 957 सुप्रीम कोर्ट** में प्रतिपादित किया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. पेज–7392** के प्रकाश में भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

14. अतः वाद के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–01/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है। आदेश दिनांकित 09.12.2025 पारित करने में कोई अवैधता, अनियमितता, विवेकाधिकार या क्षेत्राधिकार का मनमाना व विद्वेषपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–03 सन् 2026, 'अनुज कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि' निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–01/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.12.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संगृहित की जाए।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0—01, मुजफफरनगर।

दिनांकः—25.06.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0—01, मुजफफरनगर।

दिनांकः—25.06.2026